राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पास, जयपुर

क्रमांकः–एफ.1(8)(01764)सामा./सान्याअवि/2024/ 19669 जयपुर, दिनांकः– 5/11/24

आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके नाम के आगे अंकित परीक्षा में वर्ष 2024–25 में शामिल होने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	पद	नाम कार्यालय जिससें सम्बन्धित है।	कक्षा/विषय
1.	सुश्री मीनू डाबी	छात्रावास अधीक्षक	सावित्री बाई फूले राजकीय कन्या छात्रावास, बीकानेर	M.A. History Pre Year
2	श्री विजय बिजारनिया	कनिष्ठ सहायक	राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह, झुंझुनूं	BLIS(Bachelor in library and information science)
3	श्री सुनिल कुमार डबरिया	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जालोर	M.A. ECONOMICS FINAL YEAR
4	श्री विनोद नागर	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, नैनवा, बून्दी	M.A. Political Science PRE. YEAR
5	श्री संदीप कुमार	वरिष्ठ सहायक	कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हनुमानगढ	M.A. Bhagwad Geeta Studies PRE. YEAR
6	श्री अनिल ओझा	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बीकानेर	M.Sc. Maths PRE YEAR

शर्तेः–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Signature valid

Digitally signed by Kesar Lal Meena
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2024.10.30 16:26:59 IST
Reason: Approved

j Ref No.: 11314811

भीम सान्याअवि

5. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नही मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत अधिक होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार की जिम्मेदार नहीं होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. अधिकारी/कर्मचारी परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अन्दर अंकतालिका निदेशालय में प्रस्तुत करेंगे।
12. परीक्षा की अनुमति प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी स्वीकृति आदेश में उल्लेखित शर्तों की पूर्ण पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(केसर लाल मीणा)
अति. निदेशक(सतर्कता एवं प्रशासन)

क्रमांकः–एफ.1(8)(01764)सामा./सान्याअवि/2024/19670–77 जयपुर, दिनांकः– 5/11/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन) मुख्यालय।
4. निजी सचिव, उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन) मुख्यालय।
5. संबंधित जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष ....।
6. उप निदेशक (आई.टी.), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
7. संबंधित कार्मिक श्री..को सूचनार्थ।।
8. कार्यालय पत्रावली।

अति. निदेशक(सतर्कता एवं प्रशासन)

Signature valid

Digitally signed by Kesar Lal Meena
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2024.10.30 16:26:59 IST
Reason: Approved

O/C

RajKaj Ref No.: 11314811